v/;k;&I

1- jkT; d: ljdkjh dEifu;k ,o lkfof/kd fuxek dk fogxkoykdu

iLrkouk

1-1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुये राजकीय पीएसयू की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को सम्पादित करने के लिये की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में औसत स्थान रखते है। राज्य के पीएसयू की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार राजकीय कार्यरत पीएसयू ने ₹ 62,432.56 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। राज्य के कार्यरत पीएसयू ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कुल ₹ 10,842.45 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2013 को उनमें 0.82 लाख[1] कर्मचारी कार्य कर रहे थे। राजकीय पीएसयू में छः विभागीय उपक्रम[2] (डीयू) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, परन्तु राजकीय विभागों के भाग हैं। इन डीयू से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षण राज्य की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर ऑडिट) में सम्मिलित हैं।

1-2 31 मार्च 2013 को (निम्न विवरणानुसार) 126 पीएसयू थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध नहीं थी।

Lkkj.kh l:[;k 1-1

ih,l ;: dk idkj	dk;jr ih,l ;:	vdk;jr ih,l ;[3]	;kx
सरकारी कम्पनियाँ[4]	80	39	119
सांविधिक निगम	7	शून्य	7
;kx	87	39	126

1-3 वर्ष 2012–13 के दौरान, तीन कम्पनियों, यमुना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का निगमन, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हुआ तथा पाँच कम्पनियों[5] को अन्ततः समापित कर दिया गया।

y:[kk ijh{kk vf/kn'k

1-4 सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी चुकता अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी चुकता अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (डीम्ड सरकारी कम्पनी)।

1-5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इन सभी की अनुपूरक लेखा परीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

---

1 57 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 69 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

2 आयुक्त, खाद्य एवं रसद; गर्वमेंट प्रेस; स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन्स; उप–निदेशक, पशुपालन; सिंचाई कार्यशालाएं और क्रिमिनल ट्राइब्स सेटेलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर।

3 अकार्यरत पीएसयू वे है जिन्होने अपने कार्य बन्द कर दिये हैं।

4 619–बी कम्पनियों सहित।

5 यूपीएसआईसी पौटरीज लिमिटेड, अपट्रान सैम्पैक लिमिटेड, बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड एवं स्टील एण्ड फास्टर्नस लिमिटेड।

1-6 सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। सात सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकल लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

jktdh; ih,l;w esa fuos'k

1-7 31 मार्च 2013 को, 126 पीएसयू (619–बी कम्पनियों सहित) में ₹ 1,14,776.13 करोड़ का निवेश था, जिसका विवरण निम्न है।

Lkkj.kh la[;k 1-2

(djksM+ ₹ esa)

ih,l;w dk izdkj	ljdkjh dEifu;k			lkafof/kd fuxe			egk;ksx
	iwath	nh?kkZof/k _.k	;ksx	iwath	nh?kkZof/k _.k	;ksx	
कार्यरत पीएसयू	63,215.43	48,859.05	1,12,074.48	607.30	1,010.05	1,617.35	1,13,691.83
अकार्यरत पीएसयू	694.16	390.14	1,084.30	–	–	–	1,084.30
;ksx	63]909-59	49]249-19	1]13]158-78	607-30	1]010-05	1]617-35	1]14]776-13

स्रोतः पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

राजकीय पीएसयू में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण ifjf'k"V&1 में दिया गया है।

1-8 31 मार्च 2013 तक राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 99.06 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 0.94 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस सकल निवेश में से 56.21 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 43.79 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2007–08 के ₹ 29,365.93 करोड़ से 290.85 प्रतिशत बढ़कर 2012–13 में ₹ 1,14,776.13 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है।

pkVZ la[;k 1-1

¼djksM+ ₹ esa½

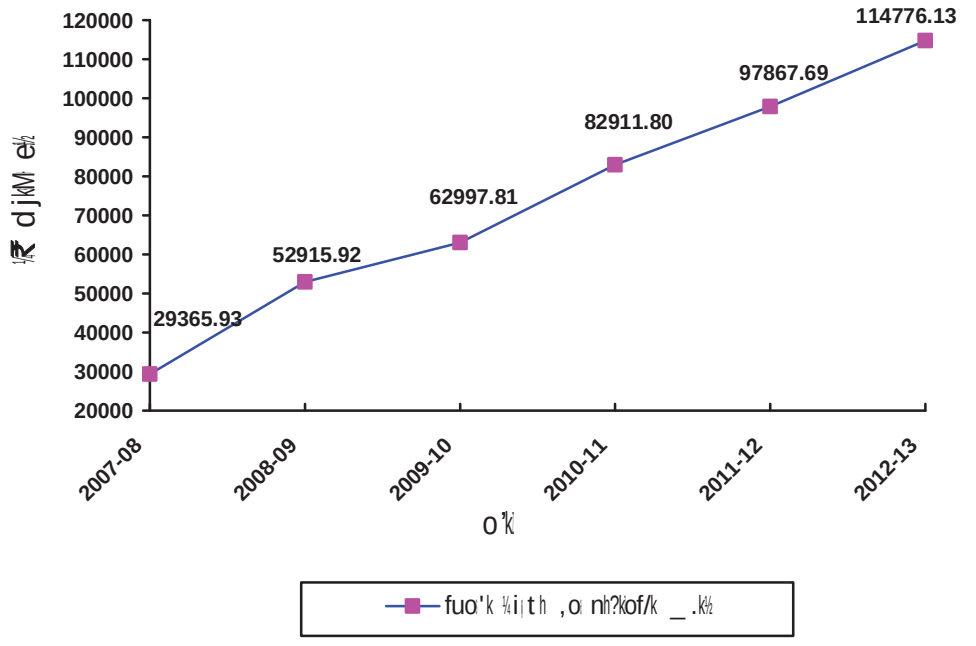

1-9 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित किये गये हैं। विगत पाँच वर्षों में पीएसयू में निवेश का मुख्य बल ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश 2007–08 में 78.37 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 94.43 प्रतिशत हो गया जबकि विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2007–08 में 10.72 प्रतिशत से घटकर 2012–13 में 3.12 प्रतिशत हो गया।

pkVZ la[;k 1-2

¼djksM+ ₹ eas½

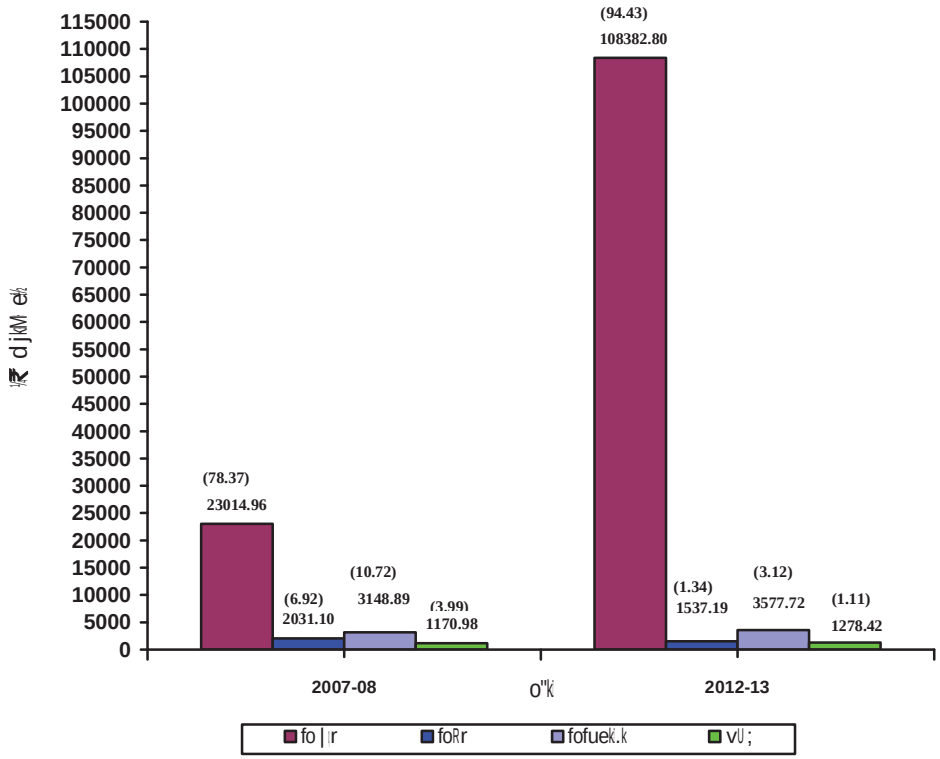

¼dks"Bdksa esa vkadM+s dqy fuos'k ij {ks=okj fuos'k dh izfr'krrk dks n'kkZrs gSa½

ctVh; cfgxZeu] vuqnku@lfClMh] izR;kHkwfr ,oa _.k

1-10 राजकीय पीएसयू के सम्बन्ध में अँश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, ब्याज की माफी एवं निर्गत प्रत्याभूतियों के लिए बजटीय बहिर्गमन का विवरण ifjf'k"V&2 में दिया गया है। 2012–13 को समाप्त हुये तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

lkj.kh la[;k 1-3

¼djksM+ ₹ esa½

Øe la[;k	fooj.k	2010&11		2011&12		2012&13	
		ih,lIw dh la[;k	/kujkf'k	ih,lIw dh la[;k	/kujkf'k	ih,lIw dh la[;k	/kujkf'k
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	6	3502.49	5	4325.50	5	2987.40
2.	बजट से दिये गये ऋण	8	113.20	1	11.85	3	25.18
3.	प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	11	3617.53	10	3108.81	11	4104.95
4.	dqy cfgxZeu ¼1$2$3½	23[6]	7233-22	15[6]	7446-16	18[6]	7117-53
5.	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	1	100.00	–	–	1	64.38
6.	ब्याज की माफी	–	–	–	–	1	425.44
7.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	3	10549.50	4	1194.65	4	848.35
8.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	8	17718.22	6	9578.49	9	9734.56

स्रोतः पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

6 यह पीएसयू की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने बजटीय सहायता प्राप्त की। कुछ पीएसयू एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

1-11 Va'श पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिये विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

pkVZ la[;k 1-3

¼djksM+ ₹ esa½

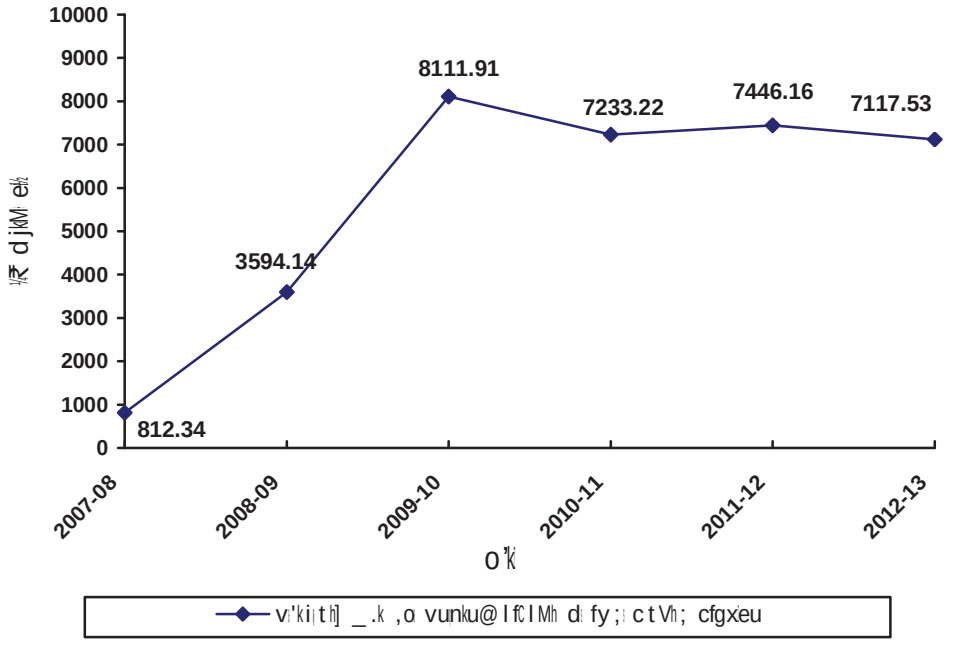

यह देखा जा सकता है कि राजकीय पीएसयू को अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिये बजटीय बहिर्गमन 2007–08 से 2012–13 की अवधि के दौरान 2007–08 में न्यूनतम था। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की सात कम्पनियों को अंश पूँजी (₹ 2,986.15 करोड़) तथा अनुदान/सब्सिडी (₹ 3,453.19 करोड़) के रूप में ₹ 6,439.34 करोड़ की वित्तीय सहायता देने के कारण बजटीय बहिर्गमन 2012–13 में ₹ 7,117.53 करोड़ हो गया। अदत्त प्रत्याभूति की राशि 2010–11 में ₹ 17,718.22 करोड़ से घटकर 2011–12 में ₹ 9,578.49 करोड़ हो गयी जो 2012–13 में बढ़कर ₹ 9,734.56 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2013 को चार पीएसयू[7] के द्वारा प्रत्याभूति कमीशन की देय राशि ₹ 5.25 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, सात पीएसयू[8] ने ₹ 6.81 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया।

foÙkh; ys[kkvksa dk lkFk lek/kku

1-12 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अदत्त अंश पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिये। हमने 52 पीएसयू में अन्तर पाया जिसका विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

Lkkj.kh la[;k 1-4

¼djksM+ ₹ esa½

vnÙk	foÙk ys[kk dk vuqlkj jkf'k	ih,l;w dk vfHkys[kk dk vuqlkj jkf'k	vUrj
अंश पूँजी	43020.47	51508.84	8488.37
ऋण	801.10	1311.51	510.41
प्रत्याभूति	38635.57	9734.56	28901.01

स्रोतः वर्ष 2012–13 के लिए राज्य वित्त लेखे तथा पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

हमने पाया कि अन्तरों का समाधान 2000–01 से ही नहीं हुआ था। महालेखाकार द्वारा वित्त लेखे तथा पीएसयू के अभिलेखों के आँकड़ों के मध्य अन्तर के शीघ्र समाधान के

[7] दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यू0 पी0 लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

[8] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ।

मामले को नियमित रूप से पीएसयू के साथ उठाया गया है। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

ih, l ;w dk dk;Z lEiknu

1-13 सभी पीएसयू के वित्तीय परिणाम ifjf'k"V&3 में वर्णित हैं। कार्यरत सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम क्रमशः ifjf'k"V 4 एवं 5 में वर्णित हैं।

1-14 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान, 87[9] कार्यरत पीएसयू में से, 34 पीएसयू ने ₹ 1,255.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 22 पीएसयू ने ₹ 12,097.87 करोड़ की हानि वहन की। छः कार्यरत पीएसयू[10] ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 पीएसयू 'न लाभ न हानि' माने गये हैं चूँकि इनके वित्तीय परिणाम ₹ एक लाख से कम हैं। लाभ में योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 431.05 करोड़), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 232.49 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 126.38 करोड़) और उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 126.08 करोड़) मुख्य थे। शेष 30 पीएसयू ने ₹ 339.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया। भारी हानि वहन करने वालों में दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,839.88 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 2,721.85 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,244.04 करोड़), पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,991.60 करोड़) तथा मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,764.84 करोड़) थे। शेष 17 पीएसयू ने ₹ 535.66 करोड़ की हानि वहन की।

1-15 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के अद्यतन तीन वर्षों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यरत पीएसयू ने ₹ 35,838.70 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 315.46 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जो कि सुदृढ़ प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं।

Lkkj.kh l[;k 1-5

(करोड़ ₹ में)

fooj.k	2010&11	2011&12	2012&13	;ksx
भारत के नियंत्रक–लेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानि	1,789.57	16,879.05[11]	17,170.08[12]	35,838.70
निष्फलित निवेश	9.22	132.80	173.44	315.46

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे तथा भारत के नियंत्रक–लेखापरीक्षक के अद्यतन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

1-16 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी उपरोक्त हानियाँ पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे कहीं अधिक होगी। उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से हानि को काफी कम किया जा सकता है।

1-17 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा निवेशित चुकता अँश पूँजी पर पाँच प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश देना था। 34 पीएसयू ने उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1,255.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि दस पीएसयू[13] ने

---

9 25 पीएसयू ने एक लाख से कम की शुद्ध लाभ/हानि अर्जित की, अतः इन पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ/हानि को ifjf'k"V&3 में इंगित नहीं किया जा सका जिसमें इंगित अंक ₹ करोड़ में हैं।

10 ifjf k"V&3 में क्रम संख्या अ–45, अ–75, अ–77, अ–78 व अ–79 एवं अ–80।

11 ₹ 1,446.11 करोड़ मार्च 2012 तक वहन किया गया तथा ₹ 15,432.94 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 25 एवं 18 वर्षों में वहन किया जायेगा जैसा की 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) के प्रस्तर 3.4 एवं 3.6 में उल्लिखित है।

12 ₹ 9,704.12 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 22 वर्षों, 23 वर्षों 9 माह, 24 वर्षों एवं 25 वर्षों में वहन किया जायेगा जैसा की इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.13 में उल्लिखित है।

13 यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम।

₹ 6.81 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने न्यूनतम लाभांश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति का अनुपालन नहीं किया।

y[kkvk d yfEcr vfUrehdj.k

1-18 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारिणी कार्यरत पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2013 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति को दर्शाती है।

lkj.kh l[;k 1-6

Øe l[;k	fooj.k	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12	2012&13
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	60	83	83	85	87
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	46	98	59	66	84
3.	लम्बित लेखाओं की संख्या	197	182	206	234	228
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (पंक्ति 3/पंक्ति 1)	3.28	2.19	2.48	2.75	2.62
5.	लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू की संख्या	54	52	69	81	82
6.	लम्बित लेखाओं की अवधि	1 से 14 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 16 वर्ष	1 से 17 वर्ष

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे।

1-19 वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्रति कार्यरत पीएसयू लम्बित लेखाओं की औसत संख्या 2.19 से 3.28 के मध्य थी। 87 कार्यरत पीएसयू में से केवल पाँच पीएसयू[14] ने वर्ष 2012–13 के अपने लेखों का अन्तिमीकरण किया जबकि 30 सितम्बर, 2013 को 82 पीएसयू के 228 लेखे एक से 17 वर्ष की अवधि से बकाया थे। लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू को लेखाओं को अद्यतन करने और बैकलॉग को दूर करने हेतु प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता है। पीएसयू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति वर्ष कम से कम एक वर्ष के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया जाये ताकि लम्बित लेखाओं को संचित होने से रोका जा सके।

1-20 उपरोक्त के अतिरिक्त अकार्यरत पीएसयू के भी लेखाओं के अन्तिमीकरण लम्बित थे। 39 अकार्यरत पीएसयू में से 13[15] समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 26 अकार्यरत पीएसयू में से सभी के लेखे एक से 30 वर्ष तक से लम्बित थे।

1-21 जैसा कि ifjf'k"V&6 में दिया गया है, राज्य सरकार ने वर्ष 2012–13 के दौरान 16 ऐसे कार्यरत पीएसयू में ₹ 7,116.99 करोड़ (अंश पूँजीः ₹ 2,987.40 करोड़, ऋणः ₹ 24.75 करोड़, अनुदानः ₹ 587.31 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 3,517.53 करोड़) का निवेश किया जिनके लेखे अन्तिमीकरण हेतु लम्बित थे। लेखाओं तथा उनकी पश्चात्वर्ती लेखा परीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ या नहीं । इस प्रकार ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका के जाँच के बाहर रहा। लेखाओं के अन्तिमीकरण में इस विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम हो सकता है।

---

14 ifjf'k"V&3 का क्रम संख्या अ–1, 2, 17, 18 एवं 20।

15 ifjf'k"V&3 का क्रम संख्या स–2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24 एवं 27।

1-22 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। महालेखाकार द्वारा लेखाओं के बकाया की स्थिति को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के संज्ञान में प्रत्येक तिमाही के अंत में लाया गया था। तथापि, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने हेतु विशेष जोर दिये जाने या समयबद्ध रूप से लेखाओं के बकाये के बैकलॉग के दूर करने को इंगित करते हुए, लेखाओं के बकाया होने का विषय मुख्य सचिव/वित्त सचिव के संज्ञान में समय–समय पर लाया गया है। (अद्यतन 20 नवम्बर 2013 को, सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही के लिए)

okf"kd ifronu dk iLrqrhdj.k dh oLrqfLFkfr

1-23 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए(3) के अनुसार, जहाँ राज्य सरकार किसी कम्पनी की सदस्य है, राज्य सरकार, कम्पनी के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों के साथ कम्पनी के कार्यकलापों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन उस वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), जिसमें लेखों को अंगीकृत किया गया हो, के तीन माह के भीतर विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विधान मण्डल को उन कम्पनियों के क्रियाकलापों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसमें राज्य सरकार एक मुख्य अंशधारक है।

हमने पाया कि 40[16] कम्पनियों के सम्बन्ध में विधान मण्डल के सम्मुख अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है (सितम्बर 2013)।

vdk;Zjr ih,l;w dk lekiu

1-24 31 मार्च 2013 को 39 अकार्यरत पीएसयू थे (37 सरकारी कम्पनियाँ तथा दो 619–बी डीम्ड सरकारी कम्पनियाँ)। इनमें से 13 पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत पीएसयू की संख्या नीचे दी गयी है:

Lkkj.kh la[;k 1-7

fooj.k	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12	2012&13
अकार्यरत पीएसयू की संख्या	43	43	40	43	39

अकार्यरत पीएसयू को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि उनका बना रहना राज्य के वित्तीय हित में नहीं हैं। वर्ष 2012–13 में तीन[17] अकार्यरत पीएसयू ने स्थापना व्यय पर ₹ 0.26 करोड़ व्यय किये।

1-25 31 मार्च, 2013 को अकार्यरत पीएसयू की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं:

Lkkj.kh la[;k 1-8

Øe la[;k	fooj.k	dEifu;k
1.	अकार्यरत पीएसयू की कुल संख्या	39
2.	उपरोक्त (1) में से:	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	13
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त)	–
(स)	बन्द अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	26

स्रोतः–रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के द्वारा दी गयी सूचना।

[16] ifjf'k"V &3 का क्रम संख्याः अ–1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 68, 70, 72, 73, स–5, 26, 34, 36 एवं 37।

[17] 39 अकार्यरत पीएसयू में से मात्र तीन पीएसयू (उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड – ₹ 9.20 लाख, उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड – ₹ 11.40 लाख एवं उत्तर प्रदेश पोल्ट्रीज़ एण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यालिटिज लिमिटेड – ₹ 5.67 लाख) ने सूचना उपलब्ध करायी।

1-26 वर्ष 2012–13 के दौरान, पाँच[18] कम्पनियों का अन्तिम समापन हुआ। जिन कम्पनियों ने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 9 से 32 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाने/अनुगमन करने की आवश्यकता है। सरकार 26 अकार्यरत पीएसयू, जिनके अकार्यरत होने के बाद चालू रहने या न रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है। सरकार अकार्यरत कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने पर विचार कर सकती है।

y[kkvk ij fVlif.k;k rFkk vkUrfjd y[kk ijh{kk

1-27 वर्ष 2012–13[19] में 61[20] कार्यरत कम्पनियों ने अपने 78 संप्रेक्षित लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से 34 कम्पनियों के 48 लेखे[21] अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुने गये। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखा परीक्षा, लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

Lkkj.kh l[;k 1-9

¼djksM+ ₹ esa½

Øe l[;k	fooj.k	2010&11		2011&12		2012&13	
		y[kkvk dh l[;k	/kujkf'k	y[kkvk dh l[;k	/kujkf'k	y[kkvk dh l[;k	/kujkf'k
1.	लाभ में कमी	14	160.90	15	107.12	14	163.88
2.	हानि में वृद्धि	11	543.59	5	2,165.60	21	1,248.38
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	–	–	3	12.92	8	587.68
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	4	40.28	5	7.42	1	0.07

उपरोक्त स्थिति पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में गिरावट को इंगित करता है। वर्तमान वर्ष के दौरान अनुपूरक लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप एक कम्पनी[22] के सांविधिक अंकेक्षकों ने उनके प्रतिवेदन में न पायी गयीं महत्वपूर्ण टिप्पणियों को सम्मिलित करने हेतु अपना प्रतिवेदन संशोधित किया।

1-28 वर्ष के दौरान, 61 कम्पनियों द्वारा अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने 75 लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाणपत्र, दो कम्पनियों[23] के दो लेखाओं पर एडवर्स प्रमाण पत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते हैं) तथा एक लेखे[24] पर डिस्क्लेमर (जिसका अर्थ है कि अंकेक्षक लेखाओं पर कोई विचार नहीं बना सका) दिया। कम्पनियों द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा निर्गत लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 33 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 105 दृष्टान्त पाये गये।

---

18 यूपीएसआईसी पौटरीज लिमिटेड, अपट्रान सैम्पैक लिमिटेड, बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड एवं स्टील एण्ड फास्टर्नस लिमिटेड।

19 अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013।

20 ifjf k'V &3 का क्रम संख्याः अ–1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73 एवं 76।

21 29 कम्पनियों के 30 लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु नहीं चुने गये थे।

22 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड।

23 उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड।

24 उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड ।

1.29 कम्पनियों के वर्ष 2012–13 के दौरान अन्तिमीकृत लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011–12)

- पूँजीगत क्रियाशील कार्य में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं में सब–स्टेशनों के निर्माण तथा सब–स्टेशनों एवं संबद्ध लाइनों के संवर्धन पर व्यय ₹ 337.95 करोड़ सम्मिलित है (शेष परियोजनाओं के विवरण उपलब्ध नही कराये गये)। ये 2007–08 से 2010–11 के दौरान पूर्ण हो चुके थे परन्तु इनका पूँजीकरण नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप पूँजीगत क्रियाशील कार्य ₹ 337.95 करोड़ से अधोकथित (ओवरस्टेटेड) एवं स्थायी सम्पत्ति ₹ 286.77 करोड़ से कम कथित था। इसके अतिरिक्त ह्रास एवं हानि ₹ 51.18 करोड़ (वर्ष के लिए ₹ 16.05 करोड़ सम्मिलित) से कम कथित है।

- आईसीएआई द्वारा निर्गत लेखांकन मानक 16–'ऋण लागत' के अनुसार सम्पत्ति के निर्माण अवधि की ऋण लागत को उसी कार्य में पूँजीकरण कर देना चाहिए। कम्पनी की लेखांकन पॉलिसी 2 (एफ) भी प्रावधानित करती है कि पूँजीगत कार्यो पर ऋण लागत को पूँजीगत कर दिया जाएगा।

  कम्पनी ने रिस्ट्रकचर्ड एक्सिलरेटेड पॉवर डेवलपमेंट रिर्फाम प्रोग्राम के अंतर्गत पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन से ₹ 200.23 करोड़ (31 मार्च 2012 तक) आहरित किए थे जिस पर 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय था। उपरोक्त प्रावधान के अतिक्रमण में, कम्पनी ने ब्याज की धनराशि को पूँजीगत क्रियाशील कार्य में ट्रान्सफर करने के बजाए इसे लाभ–हानि खाते में ट्रान्सफर कर दिया। परिणामस्वरूप ₹ 18.61 करोड़ से पूँजीगत क्रियाशील कार्य का अधोकथन एवं वर्ष की हानि का अतिकथन हुआ।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2010–11)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में यह नियत है कि स्थायी सम्पत्ति में वर्ष के दौरान वृद्धि/निगमन पर ह्रास यथानुपात भारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुसूची 22ब की टिप्पणी संख्या–6 के अनुसार ह्रास, वर्ष के प्रारम्भ में स्थाई सम्पत्ति के प्रारम्भिक अवशेष पर स्थायी ह्रास पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दिये गये दर के अनुसार प्राविधानित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकटीकरण एक दूसरे के विरोधाभासी है।

कम्पनी द्वारा ह्रास स्थायी सम्पत्ति के प्रारम्भिक अवशेष पर प्राविधानित किया गया जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के प्रावधानों तथा लेखांकन नीति के विरूद्ध है।

परिणामस्वरूप, ह्रास तथा हानि ₹ 32.22 करोड़ से कम प्रदर्शित है एवं स्थायी सम्पत्ति ₹ 32.32 करोड़ से अधिक प्रदर्शित है।

उत्तर प्रदे ा जल विद्युत निगम लिमिटेड (2010–11)

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के प्रस्तर 4v तथा लेखों पर टिप्पणियों के टिप्पणी संख्या–4 के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को पावर का विक्रय का लेखांकन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा जारी ''टैरिफ ऑर्डर'' के आधार पर, एलआईसी ऋण पर ब्याज घटाने के उपरान्त, किया जाता है। एलआईसी ऋण पर ब्याज को पूर्व वर्षों में अपनायी गयी नीति के अनुसार, भुगतान के आधार पर दावा किया जाता है। विक्रय का ब्याज मद की राशि से व्युत्क्रमण यूपीईआरसी द्वारा पारित टैरिफ ऑर्डर की शर्तों के अनुरूप नहीं था। उक्त का वित्तीय प्रभाव ₹ 8.01 करोड़ आगणित होता है जिसे प्रकट नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप विक्रय, लाभ तथा विविध देनदार प्रत्येक ₹ 8.01 करोड़ से कम प्रदर्शित है।

कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (2009–10)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या–14 के अनुसार ''संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान'' विविध देनदारों में हुयी वृद्धि पर 15 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। इसी के अनुरूप वर्ष के दौरान ₹ 21.94 करोड़ का प्रावधान संदिग्ध ऋण हेतु किया गया तथा 31 मार्च 2010 को संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान ₹ 424.49 करोड़ था।

लेखा परीक्षा में पाया कि 31 मार्च, 2010 को ₹ 1,049.75 करोड़ के विविध देनदार (एलएमवी–1: ₹ 599.09 करोड़; एलएमवी–2: ₹ 388.02 करोड़ एवं एलएमवी–6: ₹ 62.64 करोड़) छः माह से अधिक से बकाया थे जिनमें ऑनलाइन बिलिंग रोक दी गयी थी। अतः इन प्रकरणों में वसूली की सम्भावना नगण्य थी।

इस प्रकार कुल देनदार ₹ 1,470.31 करोड़ जिसमें ₹ 1,049.75 करोड़ के संदिग्ध ऋण सम्मिलित हैं, के सापेक्ष ₹ 424.49 करोड़ मात्र का प्रावधान था जिसके फलस्वरूप संदिग्ध ऋण ₹ 625.26 करोड़ से कम प्रावधानित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 625.26 करोड़ से विविध देनदार अधिक तथा हानि कम दर्शायी गयी है। अतः संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान के सम्बन्ध में नीति त्रुटिपूर्ण है चूँकि यह पूर्ण जोखिम को आच्छादित नहीं करती है।

उत्तर प्रदे ा पावर कार्पोर ान लिमिटेड (2010–11)

''रिएक्टिव इनर्जी चार्जेज'' में देय अतिरिक्त अनशिड्यूल्ड इन्टरचेंज (यूआई) चार्जेज के अन्तरीय सीमा दर से सम्बन्धित ₹ 371.26 करोड़ (₹ 160.40 करोड़, 2008–09 हेतु: ₹ 150.88 करोड़, 2009–10 हेतु एवं ₹ 59.98 करोड़ 2010–11 हेतु) का प्रावधान सम्मिलित है। अतिरिक्त यूआई चार्जेज के भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण न्यायाधीन था तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) के आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2009 एवं केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 03 दिसम्बर 2010 के अनुपालन में कम्पनी को इन चार्जेज के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः उक्त आदेशों के प्रकाश में अतिरिक्त यूआई चार्जेज हेतु प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी चूँकि दायित्व अन्ततः स्थापित नहीं था। विकल्प रूप से ऐसे दायित्व का प्रकटीकरण लेखों में सम्भावित दायित्व के रूप में करना चाहिए था। अतः अतिरिक्त यूआई चार्जेज हेतु अनावश्यक प्रावधान किये जाने से पावर का क्रय मूल्य तथा चालू दायित्व एवं प्रावधान ₹ 371.26 करोड़ से अधिक प्रदर्शित है व उक्त राशि से वर्ष के लिए हानि अधिक दर्शायी गयी है।

उत्तर प्रदे ा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2009–10)

भूस्वामियों को भुगतान किये गये प्रतिकर एवं अतिरिक्त प्रतिकर को 'विकास हेतु औद्योगिक भूमि लागत दर पर' में दर्शाया जाता है। उपरोक्त में अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में 31 मार्च 2010 के पश्चात् किन्तु चिट्ठे के अनुमोदन (28 फरवरी, 2012) से पूर्व भुगतान किये गये ₹ 9.08 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। चूँकि यह व्यय प्रबन्धन को ज्ञात थे, अतः इनका लेखांकन लेखों में कर लिया जाना चाहिए था। उक्त के लेखांकन न किये जाने के परिणामस्वरूप 'विकास हेतु औद्योगिक भूमि लागत दर पर' व चालू दायित्व, दोनों, ₹ 9.08 करोड़ से कम कथित है।

1.30 इसी प्रकार, 2012–13[25] के दौरान छः कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने छः लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से चार सांविधिक निगमों के चार लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा एकल लेखा परीक्षा से सम्बन्धित थे, जिनमे से तीन लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण हो गयी थी तथा अन्य एक लेखे का लेखा परीक्षा प्रक्रिया में था (सितम्बर 2013)। शेष दो सांविधिक निगमों के दो लेखे की अनुपूरक लेखा परीक्षा पूर्ण हो गयी थी (सितम्बर 2013)। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा हमारी एकल/अनुपूरक लेखा परीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। हमारी टिप्पणियों एवं सांविधिक अंकेक्षकों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

[25] अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक।

Ikkj.kh la[;k 1-10

¼djksM+ ₹ esa½

Øe la[;k	fooj.k	2010&11		2011&12		2012&13	
		y[kkvksa dh la[;k	jkf'k	y[kkvksa dh la[;k	jkf'k	y[kkvksa dh la[;k	jkf'k
1.	लाभ में कमी	1	3.90	2	13.98	4	38.05
2.	हानि में वृद्धि	2	59.37	1	87.84	1	79.60

वर्ष के दौरान प्राप्त हुए छः लेखाओं में से, पाँच लेखाओं की लेखा परीक्षा की गयी थी तथा तीन लेखों पर क्वालिफाईड प्रमाण पत्र निर्गत किये गये तथा दो लेखों[26] पर एडवर्स प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। बाकी लेखे[27] सम्पूर्णता की प्रक्रिया में थे। वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने दो लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण पत्र दिया।

1-31 सांविधिक निगमों के वर्ष 2012–13 के दौरान अन्तिमीकृत लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत हैः

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2011–12)

लेखांकन मानक–10 के पैरा 14.2 के अनुसार, स्थायी सम्पत्तियों जिन्हें नियमित प्रयोग से पृथक कर निस्तारण के लिए रख दिया जाता है को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और शुद्ध ब्लाक मूल्य दोनों में जो कम हो पर वित्तीय विवरण में पृथक से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी सम्भावित हानि अविलम्ब लाभ–हानि खाते में प्रदर्शित की जानी चाहिए।

988 बसें जो अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुकी थीं और जिन्हें नियमित संचालन से पृथक कर दिया गया था, को स्थायी सम्पत्तियों में सम्मिलित करने से यह (सकल ब्लाक ₹ 109.83 करोड़ एवं शुद्ध ब्लाक ₹ 11.42 करोड़) अधिक प्रदर्शित है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (2011–12)

चार निर्माण खण्डों ने वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दिये गये ब्याज का लेखांकन नहीं किया जिसके कारण बचत खातों/फ्लैक्सी खातों पर प्राप्त ब्याज ₹ 7.12 करोड़ से कम प्रदर्शित था।

इसके फलस्वरूप, व्यय के ऊपर आय का आधिक्य ₹ 7.12 करोड़ से कम कथित था।

उत्तर प्रदेश वन निगम (2011–12)

जुलाई 2012 में भुगतान किये गये 1994–95 तक की समयावधि के लिये तेन्दू पत्ते के सम्बन्ध में देय व्यापार कर, के गैर लेखांकन के कारण ₹ 4.70 करोड़ चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं है। आईसीएआई द्वारा निर्गत लेखांकन मानक–4 के अनुसार इसे खातों में प्रावधानित किया जाना चाहिए था।

परिणामस्वरूप ₹ 4.70 करोड़ से चालू दायित्व कम व लाभ अधिक प्रदर्शित है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये लेखों पर टिप्पणियों में किया गया प्रकटीकरण औचित्यहीन है।

1-32 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किए गए लेखा परीक्षा के बाद अंकेक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा सहित विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना होता है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

---

[26] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 2011–12 एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 2011–12।

[27] उत्तर प्रदेश जल निगम 2010–11।

lkj.kh la[;k 1-11

Øe la[;k	lkfof/kd vd{kdk dh fVIif.k;k dh idfr	dEifu;k dh la[;k ftue vuq'klk dh x;h	ifjf'k"V&3 e dEifu;k dh Øe la[;k dk lnHk
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	15	अ–3, 6, 14, 17, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 68, 70, 71, स–8 एवं 17
2.	कम्पनी के व्यवसाय के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का अभाव	16	अ–3, 6, 10, 14, 15, 17, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 68, 71 एवं स–8
3.	लागत लेखाओं के अभिलेखों का रख–रखाव न करना	33	अ–6, 10, 14, 17, 33, 34, 38, 40 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 एवं 71
4.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे: संख्यात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, ह्रासित मूल्य तथा उनकी स्थिति को दर्शाते अभिलेखों का रख–रखाव न करना	10	अ–22, 32, 33, 34, 38, 39, 41, स–8, 10 एवं 17

y[kk ijh{kk }kjk bfxr dju ij olyh

1-33 वर्ष 2012–13 में औचित्य लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबन्धन को ₹ 157.74 करोड़ की वसूली हेतु मामले इंगित किये गये थे, जिनमे से ₹ 101 करोड़ के मामले प्रबन्धन द्वारा स्वीकार किये गये तथा पीएसयू द्वारा ₹ 1.48 करोड़[28] की वसूली की गयी थी।

iFkd y[kk ijh{kk ifronuk d iLrrhdj.k dh fLFkfr

1-34 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

lkj.kh la[;k 1-12

Øe la[;k	lkfof/kd fuxe dk uke	o"k tgk rd ,l,vkj fo/kf;dk e j[kh x;h	o"k ftudh ,l,vkj fo/kf;dk d le{k ugh j[kh x;h		,l,vkj dk iLrr u dju dk dkj.k
			,l,vkj dk o"k	ljdkj dk fuxr dju dh frfFk	
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2010–11	2011–12	25 जुलाई 2013	सरकार द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	20 मई 2011 13 अप्रेल 2012 27 अगस्त 2012 16 सितम्बर 2013	

28 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1.35 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड: ₹ 0.13 करोड़।

1	2	3	4	5	6
3.	उत्तर प्रदेश वन निगम[29]	--	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	9 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012 11 जुलाई 2013	
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2002–03	2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	8 फरवरी 2008 13 जुलाई 2010 8 फरवरी 2011 25 अप्रैल 2011 1 अगस्त 2011 28 दिसम्बर 2011 18 जुलाई 2012 15 अक्टूबर 2012 16 सितम्बर 2013	
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2006–07	2007–08 2008–09 2009–10	11 अक्टूबर 2010 3 अगस्त 2011 20 मई 2013	
6.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2009–10	2010–11	16 सितम्बर 2013	

एसएआर को विधायिका के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायी नियन्त्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही मन्द पड़ जाती है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के विषय को राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाये जाने (फरवरी 2009) तथा महालेखाकार द्वारा नियमित अनुसरण किये जाने के पश्चात् भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति खराब हुई है और 30 सितम्बर 2012 को 16 एसएआर की तुलना में 30 सितम्बर 2013 को 22 एसएआर प्रस्तुतीकरण हेतु लम्बित है। शासन को एसएआर के विधायिका के समक्ष त्वरित प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिये।

fofuo k] futhdj.k ,o ih,l; dh iu lajpuk

1.35 राज्य सरकार द्वारा बनाई गई (जून 1994) निजीकरण/विनिवेश की नीति में ऐसे सभी उपक्रमों (सामाजिक एवं जनकल्याण गतिविधियों एवं जनसुविधाओं में संलिप्त को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी और जिनके नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण हो चुका हो, कि समीक्षा किये जाने का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन (बीआईएफआर) को संदर्भित करने के प्रकरणों की समीक्षा एवं विनिश्चय करने हेतु एवं अन्य विकल्पों यथा आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देना आदि की अनुशंसा करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की गई (दिसम्बर 1995)। ईसी की अनुशंसायें लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई। ईसी की अनुशंसा पर राज्य विनिवेश आयोग (डीसी) तथा केन्द्रीय समिति (सीसी) गठित (जनवरी 2000) किये गये। पीएसयू के कार्यसंचालन में सुधार, संविलियन, पुनर्गठन, निजीकरण या बन्दी से

[29] उत्तर प्रदेश वन निगम ने उत्तर प्रदेश फारेस्ट कारपोरेशन एक्ट, 1974 में आवश्यक संशोधन के पश्चात् वर्ष 2008–09 के लेखे प्रस्तुत किये।

सम्बन्धित प्रकरणों को डीसी को संदर्भित करने का कार्य सीसी को सौंपा गया था। यह उद्देशित था कि डीसी अपनी अनुशंसायें सीसी को अग्रेसित करेगा।

राज्य के पीएसयू के विनिवेश हेतु अप्रैल 2003 में एक उच्च अधिकार प्राप्त विनिवेश समिति (एचपीडीसी) भी गठित की गई।

उत्तर प्रदेश में विनिवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने परामर्शदाता/सलाहकार, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं तथा निजी भागीदारों के चयन के लिये दिशा–निर्देश निर्गत (जून 2007) किये थे। दिशा–निर्देशों में विभिन्न समितियों की संरचना किये जाने, विनिवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रमुख सलाहकार, कानूनी सलाहकार, लेखांकन सलाहकारों, परिसम्पत्ति मूल्याँकनकर्ताओं की नियुक्ति एवं कार्य, बोली हेतु अपनायी जाने वाली क्रियाविधि और उपक्रम के मूल्याँकन की क्रियाविधियों का प्राविधान है।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की 10 मिलों एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 11 मिलों के विक्रय का अन्तिमीकरण जुलाई 2010 से मार्च 2011 में किया। इन शुगर मिलों के विक्रय पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित है। वर्ष 2010–11 के पश्चात्, सरकार द्वारा कोई विनिवेश नहीं किया गया है।